[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 11/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ). - केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, 5% एथेनोल सम्मिश्र पेट्रोल को, जो ऐसा सम्मिश्र है, -

(क) जो 95% मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त किया गया है और 5% एथेनोल जिस पर समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, संदत्त किया गया है, के परिमाण द्वारा मिलकर बनेगा ; और

(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796, के अनुपालन में होगा,

वित्त विधेयक, 2018 के उपरोक्त खंड के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करती है ।

स्पष्टीकरण - इस सूचना के प्रयोजनों के लिए

(क) "समुचित उत्पाद शुल्क" से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन, वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित है, अभिप्रेत है; और

(ख) "समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और समेकित कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और समेकित माल और सेवा कर

अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्ग्रहणीय केद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर के रूप में अभिप्रेत है ।

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार